अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भीखालाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)　　　　मु0नं0– 24/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0एक्ट हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गांवडी के खसरा नम्बर 82, 84, 85, 86, 76 की पत्थरगढी बाबत आवेदन किया गया है। पत्रावली में उप तहसीलदार सिकन्दरा का जवाब तलब किया गया। उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि पत्रावली में मलखान पुत्र श्योदान प्रार्थी नहीं है तथा ओमप्रकाश पुत्र मलखान प्रार्थी है जिसके भूमि नहीं है। जवाब स्टेट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सभी खातेदारान/गैर खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	